



## हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

दिसंबर 2023

कार्य सूची

15 दिसम्बर 2023

### 1. शोक प्रस्ताव ।

#### (1) एक मंत्री स्वर्गीय:-

1. प्रोफेसर छत्तर सिंह चौहान, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष;
2. डॉ० राम प्रकाश, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री;
3. हरियाणा के शहीद;
4. अन्य

के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

### 2. प्रश्न ।

(1) पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

### 3. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट ।

(1)

अध्यक्ष

विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।

समिति के एक सदस्य प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

### 4. शून्य काल ।

### 5. सरकारी संकल्प ।

(1) मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि- “ यद्यपि हरियाणा राज्य 1 नवम्बर, 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावन धरा पूर्व-वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र

रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

2. यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य-चिह्न है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य-गीत नहीं है, जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर, उन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा।<sup>3</sup> हमारे पास तीन विकल्प हैं, जिन्हें इस माननीय सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा जा रहा है। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किये गये थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिलीं, जिनमें से इन 3 का चयन किया गया है। मैं राज्य गीत का चयन करने में इस माननीय सदन का समर्थन चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह गीत इस सदन की और राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा।<sup>4</sup> मैं इन तीन विकल्पों को आपके विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं और आपकी राय चाहता हूं कि इन तीन विकल्पों में से किस गीत को प्रारंभ में आज से एक साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाए।”

## 6. ध्यानाकर्षण सूचना ।

(1)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-10 जिसकी सूचना-(i) श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए., जुलाई, 2023 में भारी बारिश के कारण बाढ़ तथा जल भराव के कारण हुए नुकसान का मुआवजा न मिलने से संबंधित।  
(ii) श्री अमित सिहाग, एम.एल.ए.,(iii) श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-24 श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।  
10 के साथ क्लब कर दिया गया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-54 श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।  
साथ क्लब कर दिया गया है।

## 7. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र।

(1)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(2)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 07/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(3)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।









- (44) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 64/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्टूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (45) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 65/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्टूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (46) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 66/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्टूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (47) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्टूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (48) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी-2, दिनांकित 15 नवम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (49) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी-2, दिनांकित 23 नवम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (50) एक बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या मंत्री एच.ई.आर.सी./46/2019/तृतीय संशोधन/2023 दिनांकित 12 अप्रैल, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (51) एक बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या मंत्री एच.ई.आर.सी./48/2020/द्वितीय संशोधन/2023 दिनांकित 1 मई, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (52) एक बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या मंत्री एच.ई.आर.सी./59/2023 दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (53) एक बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) तथा 105 (1) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा मंत्री वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा विद्युत् विनियामक आयोग, पंचकूला की 20 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(54)

एक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(55)

एक हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 39(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-21 मंत्री के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(56)

एक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए हरियाणा महिला मंत्री विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(57)

वित्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड-2 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री लेखों (भाग-1 तथा 2) को मेज पर रखेंगे।

(58)

वित्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड-2 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा सरकार के मंत्री विनियोग लेखें मेज पर रखेंगे।

## 8. विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(1)

विशेषाधिकार में, श्री जोगी राम, एम.एल.ए और श्री अनूप धानक, एम.एल.ए द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2023 को श्री अभय सिंह समिति के चौटाला, एम.एल.ए के विरुद्ध दी गई निम्नलिखित सूचना अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न सम्बन्धी चेयरपर्सन विशेषाधिकार समिति की दूसरी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि :-

"श्री अभय सिंह चौटाला ने हिसार हवाई अड्डे के निकट/उद्देश्य के लिए अधिगृहीत भूमि आदि के संबंध में कुछ गलत और भ्रामक तथ्य दिए हैं। इस प्रकार, जानबूझकर, अभिप्रायपूर्ण और विचारपूर्वक झूठे तथा गलत तथ्य देकर उन्होंने विशेष रूप से सदन की तथा विशेषतः सदस्यों की प्रतिष्ठा पद और गरिमा को कम किया है। इसलिए, उक्त सदस्य का कृत्य, सदन के पटल पर भी स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, जब श्री अभय सिंह चौटाला सदन में बोल रहे थे तो अन्य सदस्यों के प्रति उनका आचरण अनुचित तथा असंसदीय रहा।"

यह मामला सदन द्वारा 21 फरवरी, 2023 को विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था। समिति को अगले सत्र की पहली बैठक यानी 15 दिसंबर, 2023 तक सदन को एक रिपोर्ट बनाकर देनी थी। समिति ने दिनांक 19.07.2023, 03.10.2023 और 18.10.2023 को हुई अपनी बैठकों में इस मामले पर चर्चा की तथा क्रमशः दिनांक 02.08.2023, 18.10.2023 तथा 08.11.2023 को श्री जोगी राम, एम.एल.ए. और श्री अनूप धानक, एम.एल.ए. का मौखिक साक्ष्य लेने का निर्णय लिया गया। हालाँकि, माननीय सदस्य मौखिक साक्ष्य के लिए तीनों अवसरों पर समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। आगे समिति ने दिनांक 06.12.2023 को हुई अपनी बैठक में श्री जोगी राम, एम.एल.ए. और श्री अनूप धानक, एम.एल.ए. को मौखिक साक्ष्य के लिए दिनांक 27.12.2023 को समिति के समक्ष उपस्थित होने का अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया। चूंकि यह मुद्दा समिति के सक्रिय विचाराधीन है और विस्तृत जांच और अनिवार्य प्रक्रियात्मक पहलुओं का पालन करने की आवश्यकता है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि अंतिम रिपोर्ट बनाने के लिए समय दिया जाए, इसलिए, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

## 9. विधायी कार्य।(पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)



(1)

हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन)  
1. विधेयक, 2023.

एक हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक को  
मंत्री पुरःस्थापित करेंगे।

Chandigarh-160001  
दिनांक: १४ दिसम्बर २०२३

राजेन्द्र कुमार नांदल  
सचिव  
हरियाणा विधान सभा